महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, गाजीपुर

नागरिक चार्टर

स्थानः

महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर एवं सम्बद्ध चिकित्सालय शहर से लगभग 02 km दूर स्थित है।

कॉलेज और चिकित्सालय के बारे में पूछताछ और जानकारी

केंद्रीय पूछताछ और पंजीकरण चिकित्सालय के प्रवेश द्वार पर स्थित है

केंद्रीय पूछताछ का टेलीफोन नंबरः 0548–2970123

ओपीडी और इमरजेंसी में पूछताछ काउंटर और हेल्प डेस्क भी उपलब्ध है

वेबसाइटः https://www.asmcghazipur.ac.in/

ईमेल आईडीः asmcghazipur@gmail.com

बिस्तरों, डॉक्टरों, नर्सों आदि की संख्या

चिकित्सालय में 450 बेडें हैं (आपातकालीन और निजी वार्ड सहित)

यहां 145 डॉक्टर (संकाय सदस्यों, सीनियर और जूनियर रेजीडेंट सहित), 161 नर्सिंग स्टाफ और 60 पैरामेडिकल स्टाफ हैं।

सूचना का अधिकार

जन सूचना अधिकारीः डॉ0 अमित कुमार, नोडल अधिकारी

अपीलीय अधिकारीः प्राचार्य महर्षि विश्वामित्र स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गाजीपुर

शिकायत एवं अस्पताल सम्बन्धि जानकारी के लिए इस पर WhatsApp करें।

Autonomous State MEDICAL COLLEGE Ghazipur
WhatsApp business account

दुर्घटना एवं आपातकालीन सेवा

प्रभारी अधिकारी: डॉ0 दीपा कुमारी

स्थानः अस्पताल का ग्राउंड फ्लोर, इमरजेंसी प्रवेश द्वार।

आपातकालीन सेवाएं 24x7 घंटे उपलब्ध हैं और कोई भी व्यक्ति आपातकालीन स्थिति में तत्काल परामर्श/उपचार ले सकता है।

आपातकालीन स्थिति /आपात स्थिति की प्रकृति के आधार पर जिसमें चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, रोगी को आपातकालीन पंजीकरण काउंटर पर निःशुल्क पंजीकृत किया जाता है और चिकित्सा सेवाएं तुरन्त प्रदान की जाती है।

कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर्स के अलावा, कैजुअल्टी में मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पिडियाट्रिक्स, प्रसूति, स्त्री रोग और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स की प्रमुख विशेषताओं वाले डॉक्टरों की समर्पित टीम है जो तत्काल सेवा प्रदान करने के लिए आदेश देते हैं।

सभी संभव जॉच (अस्पताल में 24x7 उपलब्ध) और त्वरित उपचार सहित बेहतर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

कैजुअल्टी में आधुनिक उपकरणों जैसे मॉनिटर, वेंटिलेटर, नेबुलाइलर, डिफिब्रिलेटर, सेंट्रल ऑक्सीजन और सक्शन सप्लाई आदि से पूरी तरह सुसज्जित आपातकालीन ऑपरेशन थियेटर है।

पैथोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजी, आयोकेमिस्ट्री, ईसीजी, एक्स–रे जैसी सभी जरूरी जॉच कैजुअल्टी के मरीजों के लिए 24x7 घंटे उपलब्ध हैं।

सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हैं और एमआरआई जल्द ही सरकारी आदेशों के अनुसार भुगतान के आधार पर अस्पताल परिसर में उपलब्ध होगी।

व्हीलचेयर और मरीज ट्रॉली जैसी सुविधाएं कैजुअल्टी और चिकित्सालय के प्रवेश द्वार पर उपलब्ध हैं।

आउट पेशेंट डिपार्टमेंट (ओपीडी) सेवाएं

स्थानः संबंधित विभागीय मंजिलों पर।

पंजीकरण समय परामर्श समय

सामान्य ओपीडी:–सुबह 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक

स्पेशलिटी क्लिनिकः–सुबह 8.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक

सामन्य/सुपर–स्पेशियलिटी ओपीडी में परामर्श के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और सुपर फेसिलिटी अस्पताल के प्रवेश द्वार पर स्थित ओपीडी पंजीकरण काउंटर पर 1.00 रुपये का भुगतान करके ओपीडी पंजीकरण कार्ड प्राप्त किया जा सकता है।

तृतीयक और अन्य अस्पताल से रेफर किय गए मामलों को भी ओपीडी में परामर्श के लिए पंजीकृत होना चाहिए।

ओपीडी पंजीकरण कार्ड परामर्श के 15 दिनों के लिए वैध है, जिसके बाद यदि परामर्श/उपचार 15 दिनों से अधिक हो जाता है तो नया पंजीकरण कार्ड प्राप्त किया जाना चाहिए। रोगी को किसी भी डॉक्टर/परामर्शदाता से परामर्श करने का अधिकार है।

मरीजों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर देखा जाता है। हालांकि, गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी जाती है।

फ्लोर के अनुसार ओपीडी का विवरणः

जनरल सर्जरी	(भूतल)
ऑर्थोपेडिक्स	(भूतल)
ब्लड बैंक	(भूतल)
रेडियो डायग्नोसिस	(भूतल)
मेडिसिन	(भूतल)
पीडियाट्रिक्स	(पहली मंजिल)
डेंटल	(पहली मंजिल)
ई0एन0टी0	(पहली मंजिल)
ऑप्थल्मोलॉजी	(पहली मंजिल)
स्किन एण्ड वी0डी0	(पहली मंजिल)
साइकेट्रिक	(पहली मंजिल)
टी0बी0 एण्ड चेस्ट	(पहली मंजिल)

ओपीडी परामर्श के दौरान, परामर्शदाता विभिन्न जॉचों के लिए अनुरोध प्रपत्र भरेगा और रोगी को संबंधित प्रयोगशाला/विभाग में निर्देशित/मार्गदर्शन करेगा। कुछ विशेष जॉचें केवल विशेष दिनों में की जाती हैं।

रोगी को संबंधित प्रयोगशाला/विभाग से संग्रह के लिए दी गई तिथि/समय पर जॉच रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए।

आयुष्मान भारत लाभार्थी के लिए सभी जॉचें मुफ्त की जाती हैं। किसी भी जॉच के लिए भुगतान सरकार द्वारा निर्धारित दर/निःशुल्क लिया जाता है। रोगी को भुगतान जमा करना चाहिए और संबंधित प्रयोगशाला/विभाग से उचित रसीद प्राप्त करनी चाहिए।

कार्य भार के आधार पर, रोगी को कुछ जॉचों के लिए संबंधित विभाग द्वारा भविष्य की तारीखों पर बुलाया जाता है। ओपीडी स्तर पर कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे ईसीजी, प्लास्टर, टीकाकरण, गर्भनिरोधक एमटीपी सेवाएं, मामूली सर्जिकल हस्तक्षेप, फिजियोथेरेपी, ब्रोंकोस्कोपी और एंडोस्कोपी, आदि।

मरीजों को अपना वाहन अस्पताल परिसर के प्रवेश द्वार पर निःशुल्क पार्किंग क्षेत्र में पार्क करना चाहिए। अन्यथा इसे टोचन करके ले जाया जा सकता है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा संचालित आपातकालीन विभाग के बगल में एक दवा काउंटर है, जहाँ दवाएँ निःशुल्क उपलब्ध हैं।

इनडोर सेवाएं

सामान्य वार्ड के लिए कोइ प्रवेश शुल्क नहीं है और दवाइयाँ, IV द्रव और शल्य चिकित्सा संबंधी सामान, आदि रोगी को निःशुल्क प्रदान किए जाती है।

सभी मरीजों को फैकल्टी की देखरेख और मार्गदर्शन में 24x7 घंटे उपलब्ध रहने वाले रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की टीम द्वारा उपचार दिया जाता है। विशिष्ट जॉच, प्रक्रिया, सर्जरी आदि के लिए अतिरिक्त शुल्क लागू होंगे।

आईसीयू, एसआईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एचडीयू जैसे विशेष वार्ड बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के लिए वेंटिलेटर, मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर, नेबुलाइजर, इनक्यूबेटर आदि जैसे आधुनिक गैजेट और उपकरणों से लैस हैं।

अस्पताल के परिचारक विभिन्न वार्डों में इनपेशेंट की देखभाल और संबंधित गतिविधियों में मदद करने के लिए उपलब्ध है। अस्पताल में जनरेटर बैकअप है। इनडोर मरीज और एक परिचारक को दिन में दो बार निःशुल्क में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

आगंतुकों को केवल विजिटिंग घंटों के दौरान ही अनुमति दी जाती है, यानी शाम 4.00 बजे से रात 8.00 बजे तक।

ऑपरेशन थियेटर– अस्पताल में पूरी तरह से सुसज्जित आधुनिक ऑपरेशन थियेटर हैं, जहाँ नवीनतम तकनीकों और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सभी प्रकार की बड़ी और छोटी सर्जरी की जाती है। नियमित सर्जरी संबंधित विभाग द्वारा बनाए गए सूची के अनुसार की जाती है।

रक्त बैंकः

अस्पताल में लाइसेंस प्राप्त आधुनिक ब्लड बैंक है जो 24 घंटे काम करता है और रक्तदान, भंडारण, रक्त जारी करने की सुविधाएं प्रदान करता है और इसके लिए सख्त सावधानियां बरती जाती हैं और किसी भी तरह के संक्रमण को रोकने के लिए परीक्षण किया जाता है। रक्त एक्सचेंज के आधार पर जारी किया जाता है और रक्त की आवश्यकता वाले मरीज को रक्त के लिए स्वस्थ रक्तदाता की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारियाँः

कृपया अस्पताल परिसर के नियमों का पालन करें।

कृपया आनावश्यक रूप से भीड़ लगाकर या शोर मचाकर अन्य मरीजों को असुविधा न पहुँचाएँ।

कृपया अस्पताल को साफ–सुथरा रखने में हमारी मदद करें।

कृपया सुरक्षा गार्डों से बहस न करें, मांगे जाने पर अपना पास दिखाएँ और अस्पताल परिसर के अन्दर व्यवस्था और शांति बनाए रखने में हमरी मदद करें।

कृपया इस अस्पताल की सुविधाओं का सावधानी से उपयोग करें और अस्पताल की संपत्ति को नुकसान न पहुँचाएँ।

दलालों और अनधिकृत व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह के पैसे के लेन–देन में शामिल न हों।

चिकित्सालय परिसर धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र है। कृपया चिकित्सालय में धूम्रपान न करें।